

सम्पत्ति कर एवं रिक्त भूमि कर की गणना हेतु मार्गदर्शिका

(GUIDELINES FOR CALCULATION
OF PROPERTY TAX AND VACANT
LAND TAX)

URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING DEPARTMENT

PATNA, BIHAR

प्रस्तिविनी :बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 127 (3) के अनुसार करो की उगाही,कर निर्धारण तथा वसुली इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनायी गयी नियमावली और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप होगी तदनुसार बिहार नगरपालिका सम्पति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसुली) नियमावली 2013 की धारा 13 स्व निर्धारण अनिवार्य करती है।



- (1) प्रत्येक करदाता/ धृति के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वे किसी मांग सूचना कि प्रतीक्षा किये बिना अपने धृति के धृति कर का स्व- निर्धारण कर उनका भुगतान नगरपालिका को करे।
- (2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर उस वर्ष 1 अप्रैल को देय हो जायेगा ।
- (3) धृति कर कि गणना और उसके भुगतान हेतु स्व घोषणा एव स्व निर्धारण कि योजना का पालन करना हर धृतिधारी / करदाता के लिय बाध्यकारी होगा इन नियमों कि सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने के बाद उतनी जल्दी जितना व्यावहारिक हो, परन्तु छह महीने के भीतर सभी नगरपालिकाएंध् नगर विकास एवं आवास विभाग धृति कर के भुगतान हेतु स्व निर्धारण कि योजना को लागु करेगी और इसके लिय स्व निर्धारण प्रपत्र तैयार करेगी तथा स्व निर्धारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, जैसा आवश्यक हो,निर्गत करेगी।
- (4) यदि किसी धृति का मालिक या कर दाता संपत्ति कर के निर्धारण हेतु अनिवार्य तात्विक जानकारी को जान-बूझकर छूपा ले या संपत्ति कर का निर्धारण कम करा के दे तो वैसा व्यक्ति स्व-निर्धारण कर एवं वास्तव में भुगतेय कर की अन्तर राशि तथा उस पर एक सौ प्रतिशत शास्ति का दायी होगा।

इस पुस्तिका के माध्यम से करदाताओं /सम्पति धारकों को सम्पति और खाली भूमि कर की गणना हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

कर गणना हेतु मुख्य प्रावधान

 बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 (4) (1) एवं बिहार नगरपालिका सम्पित कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसुली) नियमावली 2013 की धारा 3 :

नगरपालिका क्षेत्र में होल्डिंग का वर्गीकरण नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित मानदंड पर किया जायेगा:-

(क) होल्डिंग की अवस्थिति :-

- i. प्रधान मुख्य सड़क पर होल्डिंग,
- ii. मुख्य सड़क पर होल्डिंग,
- iii. उपर खंड (i) तथा (ii) से भिन्न अन्य होल्डिंग

धृति, प्रधान मुख्य सड़क पर, मुख्य सड़क पर अथवा किसी अन्य सड़क पर अवस्थित है इसके अवधारण के प्रयोजनार्थ प्रत्येक धृति के प्रवेश द्वार के सामने की सड़क निर्णायक कारक होगी। सम्पत्ति के एक से अधिक सड़क पर अवस्थित होने की दशा में प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क पर अभिभावी होगी तथा मुख्य सड़क अन्य सड़कों पर अभिभावी होगी।

(ख) होल्डिंग का उपयोग :-

- i. पूर्णतः आवासीय ,
- ii. पूर्णतः वाणिज्यिक या औद्योगिक (निजी स्वामित्व का या अन्यथा)
- iii. आंशिक आवासीय और आंशिक वाणिज्यिक /औदयोगिक
- iv. 3प (i),(ii) एवं (iii) से भिन्न अन्य सभी होल्डिंग l

चूँकि कुछ सम्पत्तियों का उपयोग अंशतः आवासीय तथा अंशतः वाणिज्यिक या औद्योगिक होता है, इसलिए आवासीय अथवा वाणिज्यिक या औद्योगिक क्षेत्रों का अलग-अलग माप लिया जाएगा और धृति के विभिन्न उपयोग की सुसंगत दर लगाई जाएगी।

परन्तु संचार/मोबाईल टावर एवं उनकी सहायक मशीनों तथा विज्ञापन होर्डिग/बोर्ड से आच्छादित धृति के क्षेत्र को पूर्णतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के रूप में माना जाएगा, चाहे वह क्षेत्र छत हो या खुली/खाली भूमि। परन्तु यह भी कि यदि किसी धृति की छत या कोई खाली जमीन आवासीय उपयोग के अलावा किसी अन्य प्रयोग में लाय जाते है तो धृति के उस भाग को पूर्णतः वाणिज्यिक समझा जायेगा

(ग) निर्माण के प्रकार :-

- i. आर.सी.सी. छत वाला पक्का भवन
- ii. एस्वेस्टेस /कौरोगेटेड चादर (तिर्यक /पत्थर अथवा किसी स्थायी उपादान)
- iii. अन्य सभी भवन जो उप खंड (i) तथा (ii) के अंतर्गत नही आते हो I

(घ) अधिभोग के प्रकार:

- (i) स्वंय हेत् अधिभोग की
- (ii) किराएदार के अधिभोग की

यदि धृति किराएदार के अधिभोग में हो तो **धृतियों के उपयोग को विचार में लाए बिना** उनके अनुसार वार्षिक किराया मूल्य में 1.5 (एक दशमलव पाँच) के गुणक का अनुप्रयोग किया जाएगा।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 127 (6) :

होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की संगणनाके प्रयोजनार्थ फर्श क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप में संगणित होगी ।

- i. वैयक्तिक आवासीय सम्पत्ति सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का **70 प्रतिशत**,
- ii. वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पति सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का **80 प्रतिशत,**
- iii. वैयक्तिक आवासीय बह्मंजिला भवन /अपार्टमेन्ट सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का **70 प्रतिशत,**
- iv. वैयक्तिक गैर आवासीय बह्मंजिला भवन /अपार्टमेन्ट सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का **80 प्रतिशत,**

बिहार नगरपालिका सम्पित कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसुली) नियमावली 2013 की धारा 5: कार्पेट क्षेत्र एवं वार्षिक किराया मूल्य की गणना पद्धित :-

(1) किसी भी होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की गणना बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-127, उप-धारा-6 में निर्धारित कार्पेट एरिया की गणना के सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी। और यह गणना वर्गफीट या वर्गफीट में की जा सकेगी जिसे नजदीकी फीट में राउण्ड अप किया जायेगा। परन्तु यह भी कि पेट्रोल पम्प का जो भूमिगत क्षेत्र या संरचना भूमिगत स्टोरेज के लिये उपयोग की जाती है, कार्पेट एरिया की गणना के लिये जोड़ी जायेगी।

परन्तु यह भी संचार/मोबाईल टावर और उसकी सहायक मशीनों के द्वारा आच्छादित किसी प्रकार के क्षेत्र को सम्पत्ति कर की गणना के लिये कार्पेट एरिया माना जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी होल्डिंग, भवन का हर वो हिस्सा, छत एवं खाली भूमि सहित, जिस पर विज्ञापन के बोर्ड या होल्डिंग लगाये जाते हैं, उसे कार्पेट एरिया की गणना के लिये सम्मिलत किया जायेगा।

- 4. बिहार नगरपालिका सम्पति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसुली) नियमावली 2013 की धारा 6 : वार्षिक किराया मूल्य तथा प्रति वर्गफीट किराया मूल्य निर्धारित करने की शक्ति :
 - (1) किसी होल्डिंग का प्रतिफीट किराया मूल्य की दर नगरपालिका के द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन से निर्धारित की जायेगी और ऐसे निर्धारण में धृति की अवस्थिति उसके निर्माण का प्रकार और अन्य बिन्दु जो नगरपालिका भविष्य में निर्धारित करेगीए ध्यान में रखा जायेगा।
 - (2) किसी भी धृति का वार्षिक किराया मूल्य धृति के कार्पेट एरिया तथा प्रति वर्गफीट अथवा फीट के रूप में निर्धारित किराया मूल्य,जो उपर्युक्त उप-नियम (1) में निहित है के गुणक के रूप में की जायेगी तथा ऐसे निर्धारण में अधिभाग के प्रकार को ध्यान में रखा जायेगा। उदाहरण:

वार्षिक किराया मूल्य = करयोग्य क्षेत्र x किराया मूल्य दर x अधिभोग (1 या 1.5 जैसी भी स्थिति हो)
Annual Rental Value (ARV) = Taxable Taxable Area x Rate for ARV x Occupancy factor (1 or 1.5 as case may be)

सम्पति कर की दर (Rate of Property Tax) : 9 % of ARV

देय सम्पत्ति कर:

वार्षिक किराया मूल्य (ए.आर.वी)	₹.
संपत्ति कर (वार्षिक किराया मूल्य का 9%)	₹.
घटाये : * छूट	₹.
जोड़ें : ** ब्याज / दण्ड	₹.
कुल देय संपत्ति कर	₹.

- * छुट : 1 अप्रैल से 30 जून तक भुगतान करने पर 5 % मिलेगी । 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक भुगतान करने पर ना कोई छुट ना कोई दंड ।
- **ब्याज /दंड: 30 सितम्बर के बाद भुगतान करने पर चालू वर्ष के बकाया पर अक्टूबर माह से 1.5 % से प्रति माह की दर से ब्याज अधिरोपित किया जायेगा । माह के अंश को पूर्ण माह के रूप में गणना की जायेगी
- * अगर करदाता ने अपने सम्पत्ति में जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था की है तो सम्पत्ति कर पर 5 % अतिरिक्त छुट मिलेगी ।

नोट : बिहार नगरपालिका सम्पति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसुली) नियमावली 2013 की धारा 4, गैर-आवासीय संपत्ति कर के निर्धारण के लिये उनके वार्षिक किराया मूल्य को तालिका में दर्ज गुणकों से गुणा किया जायेगा, परन्तु यह प्रावधान अभी लागु नहीं है इसलिये इनका प्रभाव नहीं लिया गया है ।परन्तु धारा 4 के परंतुक को नगर विकास एवं आवास विभाग जारी अधिसूचना 2726 दिनांक 11.11.2013 .द्वारा लागु किया जा चूका है अर्थात् सरकारी भवनों पर अब सम्पत्ति कर की जगह अब देय सम्पति कर का 75% सेवा शुल्क के रूप में चार्ज किया जायेगा ।

सम्पत्ति कर एवं रिक्त भूमी कर गणना के उदाहरण



स्थिति 1: आवासीय सम्पति :(स्वयं द्वारा उपयोगित)

उदाहरण : श्रीमान रमेश कुमार का पटना में 3000 sq feet का पक्का मकान है जो की बेली रोड पर अवस्थित है । जिसका उपयोग वह अपने रहने के लिये आवासीय रूप में कर रहे है । उनके मकान का संरचनात्मक विवरण निम्न है :

संगणनाः सम्पति कर गणना हेतु महत्वपूर्ण कारक :

- (1) नगर पालिका : पटना नगर निगम
- (2) मकान की अवस्थिति : प्रधान मुख्य सड़क (बेली रोड) (अनुसूची 2)
- (3) होल्डिंग का उपयोग : पूर्णतः आवासीय
- (4) निर्माण का प्रकार : पक्का (आर.सी.सी छत)
- (5) अधिभोग का प्रकार : स्वयं हेत् अधिभोग में

तालिका (क)								
कर योग्य फर्श क्षेत्रफल (कार्पेट एरिया)								
कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी)	कर योग्य फर्श क्षेत्रफल के माप का आधार (धारा 127 (6))	शे क्षेत्रफल फर्श होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की संगणनाक प्रयोजनार्थ फ माप का क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप में संगणित होगी। धार (वर्ग मी) ** वैयक्तिक आवासीय सम्पत्ति - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत,						
(क)	(ख)	(ग)	क्षेत्र का 80 प्रतिशत,					
3000	70% (वैयक्तिक आवासीय)	2100	vii. वैयक्तिक आवासीय बहुमंजिला भवन /अपार्टमेन्ट - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत, viii. वैयक्तिक गैर आवासीय बहुमंजिला भवन /अपार्टमेन्ट - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत,					

वार्षिक किराया मूल्य (ARV) =कर योग्य कर योग्य क्षेत्रफल x वार्षिक किराया मूल्य का दर (अनुसूची 1 देखे) X अधिभोग का प्रकार

वार्षिक किराया मूल्य (ARV) = 2100 x 18 (अनुसूची 1 में पटना का दर देखे) x 1= रुपया 37800

देय सम्पति कर

विवरण		भुगतान	1 जुलाई से 30	30 सितम्बर के बाद	टिप्पणी
		30 जून	सितम्बर तक	भुगतान करने पर	
		तक करने	भुगतान करने	(18 अक्टूबर को	
		पर	पर	भुगतान किया)	
वार्षिक किराया मूल्य	₹.	37800	37800	37800	कर योग्य कर योग्य फर्श क्षेत्रफल x
(ए.आर.वी)					वार्षिक किराया मूल्य का दर
संपत्ति कर	₹.	3402	3402	3402	वार्षिक किराया मूल्य का 9%)
घटाये : * छूट	₹.	170	Nil	Nil	सम्पति कर का 5% (अगर जल संचयन प्रणाली है तो सम्पति कर पर अतिरिक्त 5% मिलेगा)
जोड़ें : ** ब्याज / दण्ड	₹.		Nil	51	1.5 % प्रति माह ब्याज की गणना अक्टूबर माह से की जायेगी तथा आंशिक माह को भी पूर्ण माह माना जायेगा ।
कुल देय संपत्ति कर	₹.	3232	3402	3453	

स्थिति 2: आवासीय सम्पति :(किराये हेतु उपयोगित)

उदाहरण : श्रीमान मोहन कुमार का पटना में 3000 sq feet पक्का मकान है जो की बेली रोड पर अवस्थित है। जिसको उन्होंने आवासीय हेतु किराये पर लगाया हुआ है । उनके मकान का संरचनात्मक विवरण निम्न है :

संगणनाः सम्पति कर गणना हेत् महत्वपूर्ण कारक :

- (1) नगर पालिका : पटना नगर निगम
- (2) मकान की अवस्थिति : प्रधान मुख्य सड़क (बेली रोड) (अनुसूची 2)
- (3) होल्डिंग का उपयोग : पूर्णतः आवासीय
- (4) निर्माण का प्रकार : पक्का (आर.सी.सी छत)
- (5) अधिभोग का प्रकार : किराया हेत् अधिभोग में
- (6) कर योग्य फर्श क्षेत्रफल (तालिका क देखे)

वार्षिक किराया मूल्य (ARV) =कर योग्य कर योग्य फर्श क्षेत्रफल x वार्षिक किराया मूल्य का दर (अनुसूची 1 देखे) X अधिभोग का प्रकार

तालिका (क)	तालिका (क)								
कर योग्य फर्श क्षेत्रफल (कार्पेट एरिया)									
कुल निर्मित	कर योग्य	कर योग्य	बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 127 (6) :						
क्षेत्रफल	फर्श क्षेत्रफल के	फर्श क्षेत्रफल	होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की संगणनाके प्रयोजनार्थ फर्श क्षेत्रफल						
	माप का आधार		की माप निम्नलिखित रूप में संगणित होगी ।						
	(धारा 127 (6))		ix. वैयक्तिक आवासीय सम्पति - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का						
(ঘ)	(량)	(च)	70 प्रतिशत,						
3000	70%	2100	x. वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पत्ति - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र						
	(वैयक्तिक		का 80 प्रतिशत,						
	आवासीय)		xi. वैयक्तिक आवासीय बहुमंजिला भवन /अपार्टमेन्ट -						
			सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत,						
			xii. वैयक्तिक गैर आवासीय बहुमंजिला भवन /अपार्टमेन्ट -						
			सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत,						

वार्षिक किराया मूल्य (ARV) = 2100 x 18 (अनुसूची 1 में पटना का दर देखे) x 1.5 = रुपया 56700

देय सम्पति कर

विवरण		भ्गतान	1 जुलाई से 30	30 सितम्बर के	टिप्पणी
		30 जून	सितम्बर तक	बाद भुगतान करने	
		तक करने	भुगतान करने	पर (18 अक्टूबर	
		पर	पर	को भुगतान किया)	
वार्षिक किराया	₹.	56700	56700	56700	कर योग्य कर योग्य फर्श क्षेत्रफल x
मूल्य (ए.आर.वी)					वार्षिक किराया मूल्य का दर X अधिभोग
संपत्ति कर	柩.	5103	5103	5103	वार्षिक किराया मूल्य का 9%)
घटाये : * छूट	₹.	255	Nil	Nil	सम्पत्ति कर का 5% (अगर जल संचयन प्रणाली है तो सम्पत्ति कर पर अतिरिक्त 5% मिलेगा)
जोड़ें : ** ब्याज / दण्ड	₹.		Nil	77	1.5 % प्रति माह ब्याज की गणना अक्टूबर माह से की जायेगी तथा आंशिक माह को भी पूर्ण माह माना जायेगा ।
कुल देय संपति कर	₹.	4848	5103	5180	

स्थिति 3: वाणिज्यिक उपयोगित सम्पति :(स्वयं के व्यवसाय हेतु)

उदाहरण : श्रीमान मुकेश कुमार जी का पटना में पक्का 200 sq feet का मकान है जो की बेली रोड पर अवस्थित है। जिसका उपयोग वह स्वयं के लिये व्यवसाय हेत् कर रहे है ।

संगणनाः सम्पति कर गणना हेत् महत्वपूर्ण कारक :

- (1) नगर पालिका : पटना नगर निगम
- (2) मकान की अवस्थिति : प्रधान मुख्य सड़क (बेली रोड) (अनुसूची 2)
- (3) होल्डिंग का उपयोग : पूर्णतः वाणिज्यिक
- (4) निर्माण का प्रकार : पक्का (आर.सी.सी छत)

कर यो	तालिका (क) कर योग्य फर्श क्षेत्रफल (कार्पेट एरिया)								
क्र. सं	संरचना का प्रकार	कुल फर्श क्षेत्रफल	कर योग्य फर्श क्षेत्रफल के माप का आधार (धारा 127 (6))	कर योग्य फर्श क्षेत्रफल	बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 127 (6): होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की संगणनाके प्रयोजनार्थ फर्श क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप में संगणित होगी । i. वैयक्तिक आवासीय सम्पति - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत,				
(ন্ত)	(ज) कमरा (दुकान)	(郭) 200	(ञ) 80% (वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पत्ति)	(ट) 160	ii. वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पत्ति - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत, iii. वैयक्तिक आवासीय बहुमंजिला भवन /अपार्टमेन्ट - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत, iv. वैयक्तिक गैर आवासीय बहुमंजिला भवन /अपार्टमेन्ट - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80				
	कुल माप	200	कुल कर योग्य माप	160	प्रतिशत,				

वार्षिक किराया मूल्य (ARV) =कर योग्य कर योग्य फर्श क्षेत्रफल x वार्षिक किराया मूल्य का दर (अनुसूची 1 देखे) X अधिभोग का प्रकार

वार्षिक किराया मूल्य (ARV) = 160 x 54 (अनुसूची 1 में पटना का दर देखे) x 1 = रुपया 8640

देय सम्पति कर

विवरण		भुगतान 30 जून तक करने पर	1 जुलाई से 30 सितम्बर तक भुगतान करने पर	बाद भुगतान करने	टिप्पणी
वार्षिक किराया मूल्य (ए.आर.वी)	₹.	8640	8640	8640	कर योग्य कर योग्य फर्श क्षेत्रफल x वार्षिक किराया मूल्य का दर x अधिभोग
संपत्ति कर	₹.	778	778	778	वार्षिक किराया मूल्य का 9%)
घटाये : * छूट	₹.	39	Nil	Nil	सम्पत्ति कर का 5% (अगर जल संचयन प्रणाली है तो सम्पत्ति कर पर अतिरिक्त 5% मिलेगा)
जोड़ें : ** ब्याज / दण्ड	₹.		Nil	12	1.5 % प्रति माह ब्याज की गणना अक्टूबर माह से की जायेगी तथा आंशिक माह को भी पूर्ण माह माना जायेगा ।
कुल देय संपत्ति कर	₹.	739	778	790	

स्थिति 4 : वाणिज्यिक उपयोगित सम्पति :(किराये हेतु उपयोगित)

उदाहरण : श्रीमान मुकेश कुमार का पटना में पक्का 200 sq feet का मकान है जो की बेली रोड पर अवस्थित है को किराये पर दिया हुआ है जिसका उपयोग किरायेदार द्वारा व्यवसाय हेतु किया जा रहा है ।

संगणनाः सम्पति कर गणना हेतु महत्वपूर्ण कारक :

(1) नगर पालिका : पटना नगर निगम

(2) मकान की अवस्थिति : प्रधान म्ख्य सड़क (बेली रोड) (अन्सूची 2)

(3) होल्डिंग का उपयोग : पूर्णतः वाणिज्यिक (4) निर्माण का प्रकार : पक्का (आर.सी.सी छत)

(5) उपभोग का प्रकार :किराये के लिये

कर य	तालिका (क) कर योग्य फर्श क्षेत्रफल (कार्पेट एरिया)										
क्र. सं	संरचना का प्रकार	कुल फर्श क्षेत्रफल	कर योग्य फर्श क्षेत्रफल के माप का आधार (धारा 127 (6))	कर योग्य फर्श क्षेत्रफल	बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 127 (6): होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की संगणनाके प्रयोजनार्थ फर्श क्षेत्रफल की माप निम्नलिखित रूप में संगणित होगी। ं. वैयक्तिक आवासीय सम्पति - सम्पूर्ण						
(क	(ख) कमरा (दुकान)	(ग) 200	(घ) 80% (वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पत्ति)	(종) 160	निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत, i. वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पति - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत, i. वैयक्तिक आवासीय बहुमंजिला भवन /अपार्टमेन्ट - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत, v. वैयक्तिक गैर आवासीय बहुमंजिला भवन /अपार्टमेन्ट - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत,						

वार्षिक किराया मूल्य (ARV) =कर योग्य कर योग्य क्षेत्रफल x वार्षिक किराया मूल्य का दर (अनुसूची 1 देखे) X अधिभोग का प्रकार

वार्षिक किराया मूल्य (ARV) = 160 x 54 (अनुसूची 1 में पटना का दर देखे) x 1.5 = रुपया 12960

देय सम्पति कर

विवरण		भुगतान	1 जुलाई से	30 सितम्बर के	टिप्पणी
		30 जून	30 सितम्बर	बाद भुगतान	
		तक करने	तक भुगतान	करने पर (18	
		पर	करने पर	अक्टूबर को भ्गतान किया)	
				J	
वार्षिक किराया मूल्य	₹.	12960	12960	12960	कर योग्य कर योग्य फर्श क्षेत्रफल x
(ए.आर.वी)					वार्षिक किराया मूल्य का दर X
					अधिभोग
संपत्ति कर	₹.	1166	1166	1166	वार्षिक किराया मूल्य का 9%)
घटाये : * छूट	₹.	58	Nil	Nil	सम्पत्ति कर का 5% (अगर जल
· ·					संचयन प्रणाली है तो सम्पत्ति कर पर
					अतिरिक्त 5% मिलेगा)
जोड़ें : ** ब्याज /	₹.		Nil	17	1.5 % प्रति माह ब्याज की गणना
दण्ड					अक्टूबर माह से की जायेगी तथा
					्र आंशिक माह को भी पूर्ण माह माना
					जायेगा ।
कुल देय संपत्ति कर	₹.	1108	1166	1183	

स्थिति 5: आवासीय सम्पति : (मिश्रित)

उदाहरण : श्रीमान रमेश कुमार का पटना 1500 sq feet में निर्मित तीन मंजिला पक्का मकान है जो की अन्य रोड पर अवस्थित है । जिसके उपयोग का विवरण निम्न है ।

भूतल (ग्राउण्ड फ्लोर) : व्यवसाय हेतु उपयोगित (1000 sq feet किराये पर तथा शेष स्वयं के व्यवसाय के लिये)

प्रथम तल : आवासीय उपयोग हेतु किराये पर

द्वितीय तल : स्वयं द्वारा आवासीय उपयोग हेतु संगणना: सम्पति कर गणना हेत् महत्वपूर्ण कारक :

(1) नगर पालिका : पटना नगर निगम

(2) मकान की अवस्थिति : अन्य सड़क (अनुसूची 2)

(3) निर्माण का प्रकार : पक्का (आर.सी.सी छत)

(4) अधिभोग का प्रकार : स्वयं हेत् अधिभोग में

(5) कर योग्य फर्श क्षेत्रफल

होल्डिंग का उपयोग : आवासीय और व्यसायिक दोनों

तल	निर्मित क्षेत्रफ़ल	उपयोग का प्रकार (आवासी य /व्यवसा यिक	उपभोग (/किराये हे		दर (अनुसूची 1 देखें)	कर योग्य क्षेत्रफल	वार्षिक किराया मूल्य	टिप्पणी
भूतल	500	व्यवसाय	स्वयं	1	18	400 (80% वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पत्ति)	400*18*1 = 7200	प्रत्येक कारक बदलने की स्थिति में वार्षिक किराया मूल्य की गणना उतने क्षेत्र के लिये अलग अलग की जायेगी
भ्तल	1000	व्यवसाय	किराये हेतु	1.5	18	800 (80% वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पत्ति	800*18*1.5 =21600	किराये हेतु मकान को 1.5 गुणा अधिक कर देना होगा
प्रथम तल	1500	आवासीय	किराया हेतु	1.5	6	1050 (70% वैयक्तिक आवासीय सम्पत्ति	1050*6*1.5 =9450	• वैयक्तिक आवासीय सम्पति - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत,
द्विती य तल	1500	आवासीय	स्वयं	1	6	1050 (70% वैयक्तिक आवासीय सम्पत्ति	1050*6*1 =6300	 वैयक्तिक गैर आवासीय सम्पति - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत, वैयक्तिक आवासीय

		कुल वार्षिक	7200+21600+9450+6300=44	बहुमंजिला भवन	
		किराया मूल्य	550	- /अपार्टमेन्ट - सम्पूर्ण	ı
				निर्मित क्षेत्र का 70	ı
				प्रतिशत,	ı
				•वैयक्तिक गैर आवासीय	ı
				बहुमंजिला भवन	ı
				<i>े 'अपार्टमेन्ट</i> - सम्पूर्ण	ı
				" निर्मित क्षेत्र का 80	ı
				प्रतिशत,	

देय सम्पति कर

विवरण		भुगतान	1 जुलाई से 30	30 सितम्बर के	टिप्पणी
		30 जून	सितम्बर तक	बाद भुगतान करने	
		तक करने	भुगतान करने	पर (18 अक्टूबर	
		पर	पर	को भुगतान किया)	
वार्षिक किराया मूल्य	₹.	44550	44550	44550	कर योग्य कर योग्य फर्श क्षेत्रफल x
(ए.आर.वी)					वार्षिक किराया मूल्य का दर
संपत्ति कर	₹.	4010	4010	4010	वार्षिक किराया मूल्य का 9%)
घटाये : * छूट	₹.	201	Nil	Nil	सम्पति कर का 5% (अगर जल
					संचयन प्रणाली है तो सम्पत्ति कर
					पर अतिरिक्त 5% मिलेगा)
जोड़ें : ** ब्याज /	₹.		Nil	60	ब्याज की गणना अक्टूबर माह से
ਫ ਾਂਡ					की जायेगी तथा आंशिक माह को
					भी पूर्ण माह माना जायेगा ।
कुल देय संपत्ति कर	₹.	3809	4010	4070	



स्थिति 6: रिक्त भूमि :

उदाहरण : श्रीमान रमेश कुमार का पटना अन्य सड़क पर 1500 sq feet रिक्त भूमि है ।

संगणनाः भूमि कर गणना हेत् महत्वपूर्ण कारक :

(1) नगर पालिका : पटना नगर निगम(2) भूमि की अवस्थिति : अन्य सड़क

3) कर योग्य क्षेत्रफल :1500

क्र. सं	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग फ़ीट	खाली जमीन कर की दर	कुल देय कर	Sr.	Type of Municipality	Principal Main Road	Main Road	Others
		(प्रति वर्ग फीट में			Municipal Corporation Municipal	0.46	0.37	0.28
(क	(ख)	(ग)	(घ)	2.	Council	0.36	0.28	0.19
1	1500	0.28	420	3.	Nagar Panchayat	0.28	0.19	0.11

स्थिति 7: रिक्त भूमि एवं आवासीय सम्पति : (मिश्रित)

उदाहरण : श्रीमान रमेश कुमार का पटना 2000 sq feet का प्लाट है जिसमे उन्होंने 1200 sq फीट में निर्मित एक मंजिला आवासीय पक्का मकान है जो की अन्य रोड पर अवस्थित है तथा इसका उपयोग स्वयं के रहने के लिये कर रहे है ।

संगणनाः सम्पति कर गणना हेतु महत्वपूर्ण कारक :

(1) नगर पालिका : पटना नगर निगम

(2) मकान की अवस्थिति : अन्य सड़क (अन्सूची 2)

(3) निर्माण का प्रकार : पक्का (आर.सी.सी छत)

(4) अधिभोग का प्रकार : स्वयं हेत् अधिभोग में

(5) कर योग्य क्षेत्रफल

होल्डिंग का उपयोग : आवासीय और व्यसायिक दोनों

तर	म	कुल क्षेत्रफल	निर्मित क्षेत्रफ़ल	निर्मित क्षेत्र का प्रतिशत	उपयोग का प्रकार (आवासीय /व्यवसायिक	उप¥ (स्व /किः हेतु	यं	दर (अनुसू ची 1 देखें)	कर योग्य क्षेत्रफल		वार्षिक किराया मूल्य	टिप्पणी
भूत	तल	2000	1200	60%	व्यवसाय	स्व यं	1	18	840 (70% आवासीय सम्पत्ति)		840*18*1 = 15120	
कर यो रिव भूर्त	• •य • त	=2000-(1200*1.4	3)=284							क्त भूमि (वर्ग ् क्षेत्रफल— (भूतल X 1.43)	

देय सम्पत्ति कर

			94 (10 11(1	·	
विवरण		भुगतान 30 जून	1 जुलाई से 30 सितम्बर तक	30 सितम्बर के बाद भुगतान करने	टिप्पणी
		तक करने	भुगतान करने	पर (18 अक्टूबर	
		पर	पर	को भुगतान किया)	
वार्षिक किराया मूल्य (ए.आर.वी)	₹.	15120	15120	15120	कर योग्य कर योग्य फर्श क्षेत्रफल x वार्षिक किराया मूल्य का दर
संपत्ति कर	枣.	1361	1361	1361	वार्षिक किराया मूल्य का 9%)
भूमि कर	₹.	80	80	80	Princip Main Others =कर al Road योग्य Main Road रिक्त 0.46 0.37 0.28 भूमि x
कुल कर		1441	1441	1441	
घटाये : * छूट	₹.	72	Nil	Nil	सम्पति कर का 5% (अगर जल संचयन प्रणाली है तो सम्पति कर पर अतिरिक्त 5% मिलेगा)
जोड़ें : ** ब्याज / दण्ड	₹.		Nil	22	ब्याज की गणना अक्टूबर माह से की जायेगी तथा आंशिक माह को भी पूर्ण माह माना जायेगा ।
कुल देय संपत्ति कर	₹.	1369	1441	1463	

वार्षिक किराया मूल्य की दर तालिका

(Tariff Structure for Annual Rental Value (ARV)

अनुलग्नक (Annexure)-1

पटना नगर निगम

	कर की दर (T	कर की दर (Tax Rate) @ 9%		प्रधान मुख्य सड़क पर होल्डिंग (Holding at the Principal Main Road)			मुख्य सड़क पर होल्डिंग (Holding at the Main Road)			अन्य सड़क पर होल्डिंग (Holding at other Road)		
SI.N o	नगर निकाय का नाम (NAME OF ULB)	भवन निर्माण का प्रकार (Type of Construction of Building)	पूर्णतः वाणिज्यिक या औद्योगिक (Fully Commercia) (Rs per Sq.ft.)	अन्य (Others) (Rs per Sq.ft.)	पूर्णतः आवासी य (Fully Reside ntial) (Rs per Sq.ft.)	पूर्णतः वाणिज्यिक या औद्योगिक (Fully Commercial) (Rs per Sq.ft.)	अन्य Others (Rs per Sq.ft)	पूर्णतः आवासी य (Fully Reside ntial) (Rs per Sq.ft.)	पूर्णतः वाणिज्यिक या औद्योगिक (Fully Commercia I) (Rs per Sq.ft)	अन्य Others (Rs per Sq.ft.)	पूर्णतः आवा सीय (Fully Reside ntial) (Rs per Sq.ft.)	
		आर.सी.सी.छत वाला पक्का भवन (Pacca Building with R.C.C Roof)	54	36	18	36	24	12	18	12	6	
1	Patna Municipal Corporation	एस्वेस्टेस /कौरोगेटेड चादर वाला पक्का भवन Pacca Building with Corgated/ Cement Sheet	36	24	12	24	16	8	12	8	4	
		अन्य भवन Others Building	18	12	6	12	8	4	6	4	2	

वार्षिक किराया मूल्य की दर तालिका

(Tariff Structure for Annual Rental Value (ARV)

.....नगर पालिका

	कर की दर (Tax Rate) @ 9%		प्रधान मुख्य सड़क पर होल्डिंग (Holding at the Principal Main Road)			मुख्य सड़क पर होल्डिंग (Holding at the Main Road)			अन्य सड़क पर होल्डिंग (Holding at other Road)		
SI. No	नगर निकाय का नाम (NAME OF ULB)	भवन निर्माण का प्रकार (Type of Construction of Building)	पूर्णतः वाणिज्यिक या औद्योगिक (Fully Commercia) (Rs per Sq.ft.)	अन्य (Others) (Rs per Sq.ft.)	पूर्णतः आवासीय (Fully Residenti al) (Rs per Sq.ft.)	पूर्णतः वाणिज्यिक या औद्योगिक (Fully Commercial) (Rs per Sq.ft.)	अन्य Others (Rs per Sq.ft)	पूर्णतः आवासी य (Fully Residen tial) (Rs per Sq.ft.)	पूर्णतः वाणिज्यिक या औद्योगिक (Fully Commerci al) (Rs per Sq.ft)	अन्य Others (Rs per Sq.ft.)	पूर्णतः आवासीय (Fully Residen tial) (Rs per Sq.ft.)
		आर.सी.सी.छत वाला पक्का भवन (Pacca Building with R.C.C Roof) एस्वेस्टेस /कौरोगेटेड चादर वाला पक्का भवन Pacca Building with Corgated/ Cement Sheet				Sq.it.)			Sq.it)		

नगर पालिका का नाम							
सड़क व	प्तड़क का वर्गीकरण						
. प्रधान	ा मुख्य सड़क						
	सड़क का नाम						
₹.							
-							
2. मुख्य							
क ्र.	सड़क का नाम						
स.							
3. अन्य							
क्र. स.	नाम						

SAS Form I

[Self-Assessment Form for Property Tax / Vacant Land Tax for Municipalities in Bihar]

Name of the Municipality	Name of the Municipality						
Circle, if any [Field marked with asterisks (*)							
1. Year of Assessment *	<u>-</u>						
New Holding Number* (If allotted by the Municipality)		Old Holding N If allotted by the I		-			
3. Ward Number*	F	Revenue Circle	No				
4. Unique Property ID (PII (If allotted by the Municipality)	D)						
5. Type of Ownership* (pleas	se refer to A1 of Annex I)						
6. Owner Details* (if more the Name / Name of Competc.				Gender (M/F)			
7. Property Status*:	Building/		Vacant Land	1			
(Please tick as applicable)	Mixed (La	and + Building)				
8. Rain Water Harvesting fac (not applicable, in case you d			No				
9. Property Details* Road on which Located (please refer Annex III and please tick as applicable) Type of Use (please tick as applicable) Date of Acquisition / Construction of Property	Principal Main Road Purely Residential Partly Residential and Commercial/Industria	Partly	in Road O Purely Commercial or I Others (please refer to				
Property / House Number							
Address							

Pin Code			
10. Correspondence Ad	dress (if other than mentioned	d above)	
Property / House Number			
Address			
Pin Code			
11. Contact Details			
Mobile Number*		Phone Number	
e-Mail			
12 Plat / Land Dataila	(if you own only a huilt nouti	on in the form of a fl	at or a floor of a building boying no

12. Plot / Land Details (if you own only a built portion in the form of a flat or a floor of a building having no ownership of land, please move on to 13)*

12A	Area of Plot / Land (in sq. feet)				
12B	2B Built-up / Constructed area on the Ground Floor (in sq. feet)				
12C	2C Percentage Area Built-Up / Constructed = (12B / 12A) x 100				
Note: I	Note: If 12C is greater than or equal to 70 %, then go to 13 otherwise continue to 12D				
12D	Taxable Vacant Land (in sq. feet) = $12A - (12B \times 1.43)$				
12E	2E Vacant Land Tax Rate (Refer to A2 of Annex I) (Rs.)				
12F	Vacant Land Annual Tax (12D x 12E) (Rs.)				

13. Building Details and Tax Calculation (attach annexure, if required)*

Floor	Resident	Constr	Ratable	Unit Area	Non-	Оссі	upancy	Annual	Proper	Annual
No.	ial or	uction	Area	Rate	Residential	Factor (refer		Rental	ty Tax	Property
	Non-	Type	(in sq. feet)	(Rs. / Sq.	Use	to	A3 of	Value	Rate	Tax (in
	Resident		(<u>please</u>	feet)	(please	An	nex I)	(ARV)	(in %)	Rs.)
	ial (R or		refer to A4	(applicabl	refer to A5			(13D x		(13I x 13J)
	NR)		of Annex I)	e rate as	of Annex I)			13E x		
				per Annex	Use Factor	S or	Factor	13H)		
				II)	ID	Т				
13A	13B	13C	13D	13E	13F	13G	13H	131	13J	13K

(For Floor Number: Basement 1 = -1 Basement 2 = -2, Ground Floor = 0, First Floor = 1, Second Floor = 2 etc.) (For Construction Type – Pucca building with RCC Roof - I, Pucca building with asbestos/corrugated sheet - II, Other building – III)

1 1	Tax			-1-
IT.	142		1411()	

	an Carcalacións		
14A	Annual Rental Value (ARV) (sum of 13I)	Rs.	
14B	Total Property Tax (sum of 13K)	Rs.	
14C	Total Annual Tax (12F + 14B)	Rs.	
14D	Rebate (please refer to A6 of Annex I)	Rs.	
14E	Interest / Penalty (please refer to A7 of Annex I)	Rs.	
14F	Total Annual Property Tax (14C – 14D + 14E)	Rs.	

15. Details of Arrears and interest/Penalty thereon*

Financial Year	Amount (Rs.)	Interest/Penalty	Total (Rs.)
(15A)	(15B)	(Rs.)	(15D)
		(15C)	
Before 2010 - 11			
2010 - 11			
2011 - 12			
2012 - 13			

16. Net Payable Amount*

16.1. Service Charges instead of property tax (applicable only for Govt. properties used for non-commercial purposes)

16.1A	Service Charge (14F X 75/100)	Rs.	
16.1B	Total Service Charge Payable (Sum of 15D + 16.1A)	Rs.	
16.1C	Total Service Charge Payable (Sum of 15D + 16.1A)	In words	

 $16.2. Property\ Tax\ (applicable\ for\ all\ properties\ falling\ under\ category\ other\ than\ 16.1)$

16.	2A	Total Property Tax (14F + Sum of 15D)	Rs.	
16.	2B	Total Property Tax (14F + Sum of 15D)	In words	

17. Payment Details*

	17. Taymene Betans										
18A	Payment Made at (please tick as applicable)	Munici pality		Online	Online Notif Bank		l		Notified Civic Centers		
18B	Mode of Payment (please tick as applicable)	Cash		Chequ	eque DD			Cards/Net Ba	nking		
For Cheque/ DD		Number			Date						
18C	Details	Bank					Brai	nch			
100	For Payment at	Name of the Bank		nk				Brancl	1		
10E	18E Branch of Notified Banks Transaction ID					Date of Payment					
For Payment made		Center ID				Locati	on				
101	at Civic Centers	Transactio	on ID	ID		Date of Payment					

Declaration:

I/We hereby declare that the above information and property tax assessment based there on is correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to abide by the relevant provisions of the Bihar Municipal Act 2007.

I/We fully understand that any information furnished above, if proved incorrect or false will render me / us liable for penal action or other consequences as may be prescribed in Laws, Rules or Regulations framed by Govt. of Bihar or Municipality.

Name of the Owner/Tax Pay	/er
Signature & Date	

SUGAM

(Applicable where there is no change in area of the property or its use as compared to the previous assessment year)

Naı	me of the Municipality
Cir	cle, if any
1.	Assessment Year:
2.	New Holding Number: Old Holding Number:
	Unique Property ID(if provided by municipality):
4.	Name of the Owner:
5.	Father's / Husband's Name:
6.	Address:
_	
	(a) Phone Number: (b) Mobile Number:
	Occupancy: (a) Self (b) Tenanted
	(a) Ratable Area (in sq. feet): (b) Annual Rental Value (in Rs.):
10.	(a) Property Tax Rate (in %): (b) Property Tax (in Rs.):
11	(a) Rebate (in Rs.): (b) Interest (in Rs.):
11.	(a) Repare (iii Rs.).
12.	(a) Service Charge Rate in % of Property Tax (for Govt. Properties only):
	(a) service esting time in 70 of 1.0 per ty tim (co. dovin 1.1 oper des em))
	(b) Service Charge (in Rs.): (in words
)
13.	Net Service Charge Payable [12 (b) - 11 (a) + 11 (b)] (in Rs.):
	(in words
)
14.	Net Tax Payable [10 (b) – 11 (a) + 11 (b)] (in Rs.):
	(in words
)

15. Mode of payment: - Cash / Cheque¹ / DD / Online Payment¹ / Payment made at notified Bank¹
16. Cheque / DD Number: Payable at:
17. Transaction Number/ID (for payment modes other than Cash/Cheque /DD) ² :
Declaration:
I/We hereby certify that there has been no change in the area of the property and its use as compared to the previous assessment year I/We are therefore depositing holding tax for the Assessment Year as per the existing rules of assessment and rate of tax payable.
I/We fully understand that any information furnished above, if proved incorrect or false will render me / us liable for penal action or other consequences as may be prescribed in Laws, Rules or Regulations framed by Govt. of Bihar or Municipality.
Name of the Owner/Tax Payer:
Signature: Date:
Acknowledgement Receipt (to be filled by the assessee)
Tax Paid Amount (Rs.): (in figure)
(in words)
Mode of payment: Cash / Cheque ³ / DD / Online Payment / Payment made at notified Bank
Cheque / DD Number: Drawn on: Payable at:
Transaction Number/ID (for payment modes other than Cash/Cheque /DD) — (please provide copy of the online/bank's receipt)
Name of the Collector: Signature: Date & Stamp:

Amount paid through Cheque subject to realization
 Please deposit copy of receipt of payment made at bank or online
 Amount paid through Cheque subject to realization

Annexures to Self-Assessment (SAS) Form I and Form II

I. Annex I to SAS Form

A1. Type of Ownership

Single Owner	Partnership Firm	Board	Govt. Entity	Company (Public Ltd.)
Joint Owners	Proprietorship Firm	Institution	Authority	Company (Private Ltd.)
Trust	NGO	Govt. Body	HUF (Hindu Undivided Family)	Others

A2. Vacant Land Tax Rate (Rate Rs. per Sq. Meter)

Sr.	Type of Municipality	Principal Main Road	Main Road	Others
1.	Municipal Corporation	5	4	3
2.	Municipal Council	4	3	2
3.	Nagar Panchayat	3	2	1

Vacant Land Tax Rate (Rate Rs. per Sq. Feet)

Sr.	Type of Municipality	Principal Main Road	Main Road	Others
4.	Municipal Corporation	0.46	0.37	0.28
5.	Municipal Council	0.36	0.28	0.19
6.	Nagar Panchayat	0.28	0.19	0.11

In case the property status is purely vacant land; Vacant Land Tax shall be levied after expiry of two years from the date of acquisition of vacant land by the owner.

A3. Occupancy Factor

	1 7	
Sr.	Type of Occupancy	Multiplying Factor
1.	Self-Occupied (S)	1
2.	Tenanted (T)	1.5

A4. Calculation of Ratable Area for Properties

For the purpose of calculation of ratable area of units of the property please follow the following –

- (i) Individual Residential Property 70% of Total Built-up Area
- (ii) Individual Non-Residential Property 80% of Total Built-up Area
- (iii) Individual Residential Multistory Buildings/Apartments 70% of Total Built-up Area
- (iv) Individual Non-Residential Multistory Buildings/Apartments 80% of Total Built-up Area

Total built-up area means the carpet area that is actual usable area within the walls plus the thickness of walls and the balcony on each floor in a premise

A5. Non-Residential Use Factor

Use ID	Type of Occupancy				
I.	Hotels, bars, clubs, health club and Marriage Halls				
II.	Shops (with less than 250 sq. feet area)				
III.	Shops (other than II above), Show room, Shopping malls, Cinema Houses, Multiplexes,				
	Dispensaries, Laboratories, Restaurants, Guest Houses				
IV.	Commercial Offices, Financial Institutions, Banks, Insurance Offices, Private Hospitals and Nursing				
	Homes				
V.	Industries, Workshops, Storage, Godowns and Warehouses				
VI.	Commercial establishments and undertakings of state and central government				

Use ID	Type of Occupancy					
VII.	Coaching Classes, Guidance and Training Centers & their Hostels					
VIII.	VIII. State and Central Government offices other than their commercial establishments and undertakings					
IX.	IX. Private Schools, Private Colleges, Private Research Institutes, and Other Private Education					
	Institutions & their Hostels					
X.	Places, Centers and Institutions of Spiritual and Religious Nature					
XI.	Educational and Social Institutions run by charitable trusts on no-profit no-loss basis for benefit of					
	poor, physically challenged, social security of women and children					
XII.	Any other holdings not covered under (I) to (XI)					

In case of category VIII, Service Charges are payable, instead of Property Tax, which are 75% of Property Tax, as computed.

A6. Rebate

- 2. 5 (Five) % Rebate can be claimed on property tax payable on all structures which uses rain water harvesting technology/facility. However, assesses with ownership title to Land are eligible for this Rebate.
- 3. 5 (Five) % Rebate can be claimed from Property Tax payable for the Year, if payment made on or before 30th June of the Financial Year.

A7. Interest / Penalty

All payments after September 30th of the financial year shall be subject to levy of Penal Interest for delayed payments @ 1.5% per month effective 1st October of the financial year.

स्व-कर निर्धारण प्रणाली प्रपत्र

[बिहार में नगर पालिकाओं के लिए स्व-मूल्यांकन संपत्ति कर / रिक्त भूमि कर के लिए प्रपत्र]

नग	नगर निगम / नगर परिषद् / नगर पंचायतः							
– अंच	ल (यदि हो):							
 [तारां	——— कित (*) फ़ील्ड में सूचना देना आ	नेवार्य हैं]						
1.	आकलन का वर्ष*:							
	. नया होल्डिंग संख्या* (यदि नगरपालिका द्वारा आवंटित हो)			पुराना होल्डिंग संख्या* (यदि नगरपालिका दवारा आवंटित हो) राजस्व अंचल संख्या*				
	वार्ड संख्या* यूनिक संपत्ति पहचान संख्य (यदि नगरपालिका द्वारा आवंटित हो)	 ।। (पी.आई.डी.)		ਗ ਦ ਪ ਤਾ <i>ਂ</i> 				
	स्वामित्व का प्रकार* (कृपया अनुलग्नक । का खंड का देखें)							
6.	. स्वामित्व का विवरण* (यदि एक ही संपत्ति के चार से अधिक मार्ग नाम/कंपनी का नाम/संस्था आदि पिता/पति का					लिंग (पु./ स्त्री)		
7.	संपत्ति की स्थिति*: भवन	करें)	रिक्त भूमि		मिश्रित (रिक्]	त भूमि + भवन)		
8.	वर्षा जल संचयन की सुविध् (यदि भूमि आपकी अपनी नहीं हो		हाँ नह	हो <u> </u>				
9.	सम्पति का विवरण* रोड जिस पर स्थित है (कृपया अनुलग्नक IV देखें और जो लागु हो कृपया उसे चिन्हित करें)	प्रधान मुख्य सड़क अन्य						
	उपयोग का प्रकार (जो लागु हो कृपया उसे चिन्हित करें)	पुर्णतः आवासी आंशिक आवार्स वाणिज्यिक या	ोय और आंशिक		पुर्णतः वाणिज्यिक अन्य	या औद्योगिक		
	अधिग्रहण/संपति के निर्माण का वर्ष							

	संपत्ति	/ मकान सं	ख्या							
	पता									
	पिन क	ोड								
10.	0. पत्राचार का पता (यदि उपरोक्त दिए गए पते से भिन्न हो)									
	संपति	/ मकान सं	ख्या							
	पता									
	पिन के	ोड 💮 💮								
11.	संपर्क क	ा विवरण								
	मोबाइल	ग नंबर*				à	टेलीफोन नंबर			
	ई-मेल									
12.	भखंड /	भमिका वि	वरण (अ	गर आप केव	ाल एक फ्लै	ट के रूप में व	बनाया भाग या इ	मारत की	एक मंजिल	ा का
		**					कृपया क्रमांक 13			
	12A			त्रफल (वर्ग प्	•		•			
	12B	निर्मित क्षेत्र	। भूतल	पर निर्माण	् (वर्ग फुट र	में)				
	12C	निर्मित छे?	प्रतिशत	ा में = (12B	/ 12A) x 10)0				
	नोट:: २	यदि 12C, 70	% से अधि	धेक या बराबर	हो तो क्रमां	क 13 में विवरप	ग दर्ज करें अन्यथा	12D में वि	वरण दर्ज व	ь
	12D	कर योग्य	रिक्त भू	मे (वर्ग फुट	में) = 12A	-(12B X 1.43	3)			
	12E	रिक्त भूमि	कर की	दर (अनुलग्नक	ाका खंड क2	देखें I) (रू)				
	12F	वार्षिक रिव	त भूमि	कर (12D x	12E) (₹)					
12	भवन ट	तितरण थे	اعدلا الم	गणना (भि	भातश्यक्त हो	तो अनुलग्नक संल				
13.			निर्माण						ine	वार्षिक
	मंजिल गं	आवासीय या गैर		कर योग्य	इकाई	गैर-आवासीय उपयोग	अधिभोग कारक	वार्षिक किराया	संपत्ति	
	सं.		का	क्षेत्र	क्षेत्र दर		(कृपया अनुलग्नक		कर की	संपत्ति
		आवासीय	प्रकार	(वर्ग फूट	(रुपए /	(कृपया	। का खंड क3 देखें)	मूल्य	दर (%)	कर(रु.)

सं.	या गैर	का	क्षेत्र	क्षेत्र दर	उपयोग	(कृपया अ	नुलग्नक	किराया	कर की	संपत्ति
	आवासीय	प्रकार	(वर्ग फूट	(रुपए /	(कृपया	। का खंड	क3 देखें)	मूल्य	दर (%)	कर(रु.)
	(R या		में)	वर्ग फुट)	अनुलग्नक । का खंड क5 पारा			(एआरवी)		(13I x 13J)
	NR)		(कृपया अनुलग्नक ।	(अनुलग्नक ॥। के आधार	देखें)			(13D x 13E x		155)
			का खंड क4 देखें)	पर लागू दर)	उपयोग कारक आईडी	S अथवा T	कारक	13H)		
13A	13B	13C	13D	13E	13F	13G	13H	131	13J	13K
13A	13B	13C	13D	13E	13F	13G	13H	131	13J	13K
13A	13B	13C	13D	13E	13F	13G	13H	131	13J	13K
13A	13B	13C	13D	13E	13F	13G	13H	131	13J	13K

(मंजिल संख्या: बेसमेंट 1 = -1 बेसमेंट 2 = -2, भूतल = 0, प्रथम तल = 1, द्वितीय तल = 2 आदि) (निर्माण का प्रकार - आर. सी. सी छत वाला पक्का भवन - 1, अस्वेस्ट्स/कौरोगेटेड चादर की छत वाला पक्का भवन - 1, अन्य - 111)

14. टैक्स की गणना*

14A	वार्षिक किराया मूल्य (ए.आर.वी) (131का योग)	₹.	
14B	कुल संपत्ति कर (13k का योग)	₹.	
14C	कुल वार्षिक कर (12F + 14B)	₹.	
14D	छूट (कृपया अनुलग्नक । का खंड क6 देखें)	₹.	
14E	ब्याज / दण्ड (कृपया अनुलग्नक । का खंड क7 देखें)	₹.	
14F	कुल वार्षिक संपत्ति कर (14C – 14D + 14E)	₹.	

15. बकाया राशि का विवरण और उस पर ब्याज/दण्ड*

वित्तीय वर्ष	सशि (रू.)	ब्याज / दण्ड (रू.)	योग (रू.)
(15A)	(15B)	(15C)	(15D)
2010 – 11 से पहले			
2010 - 11			
2011 - 12			
2012 - 13			

16. कुल देय राशि*

16.1. संपत्ति कर के बजाय सेवा प्रभार (केवल गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किये जा रहे सरकारी सम्पतियों के लिए

∜			
16.1A	सेवा प्रभार (14F X 75/100)	₹.	
16.1B	कुल सेवा देय प्रभार (15D का योग + 16.1A)	₹.	
16.1C	कुल सेवा देय प्रभार (15D का योग + 16.1A)	शब्दों में	

16.2.संपत्ति कर (16.1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले संपत्तियों के अलावा अन्य सभी के लिए लागू)

16.2A	कुल संपत्ति कर (14F + 15D का योग)	₹.	
16.2B	कुल संपत्ति कर (14F + 15D का योग)	शब्दों में	

17. भुगतान का विवरण*

18A	भुगतान किया गया (जो लागु हो कृपया उसे चिन्हित करें)	नगर पालिका			अधिसूचित बैंक			नागरिक सुविधा केंद्र		
18B	भुगतान का तरीका (जो लागु हो कृपया उसे चिन्हित करें)	नकद	द चेक			डिमांड ड्राफ्ट			कार्ड/नेट बैंकिंग	
> 10		संख्या	संख्या			दिना	7			
18C			बैंक			शाखा		_		
	विवरण	लेनदेन आईडी					भुगतान	की व	तारीख	
100	अधिसूचित बैंकों की शाखा	बैंक का न	ाम				शाखा			
10E	18E भें भुगतान के लिए		लेनदेन आईडी		भुव		भुगतान	की तारीख		
18F	नागरिक सुविधा केंद्र में	केंद्र का न	ाम				स्थान			
101	भुगतान के लिए	लेनदेन आईडी				भुगतान	की व	तारीख		

घोषणा:

मैं / हम	घोषणा करत	ग हूं ∕हैं वि	⁵ उपरोक्त र	जानकारी औ	र संपत्ति कर	निर्धारण	मेरी/हमारी	जानकारी में	सही है,	
तथा मैं	/ हम बिहार	नगर अधि	ोनियम 200)7 के संगत	प्रावधानों का	पालन व	_{परने} के लिए	र वचनबद्ध	हूँ /हैं	

में / हम पूरी तरह समझता/समझते हूँ/हैं कि यदि उपर दी गयी कोई जानकारी झूठी पायी गयी तो में/हम बिहार सरकार या नगरपालिका द्वारा विहित कानून, नियम अथवा विनिमय के अंतर्गत दंडात्मक करवाई या अन्य परिणाम का भागी बनूँगा/बनेंगे |

सम्पति-स्वामी / करदाता का नाम	
हस्ताक्षर एवं तिथि	

<u>स्व-कर मूल्यांकन प्रपत्र का अनुलग्नक (नगर निकाय का नाम)</u>

स्व-कर मूल्यांकन प्रपत्र का अनुलग्नक ।

क 1. स्वामित्व का प्रकार (Type of Ownership)

एकल स्वामित्व	साझेदारी फर्म	मं डल	सरकारी संस्था	सार्वजनिक कम्पनी
संयुक्त स्वामित्व	निजी फर्म	संस्थान	प्राधिकरण	निजी कम्पनी
дŧс	गैर सरकारी संस्था	सरकारी संस्था	एच यु एफ (हिंदू अविभाजित परिवार)	अन्य

क 2. खाली जमीन कर की दर (दर रुपया प्रति वर्ग मीटर)

क्र.सं	नगर निकाय का प्रकार	प्रधान मुख्य सड़क	मुख्य सड़क	अन्य सड़क
4.	नगर निगम	5	4	3
5.	नगर परिषद	4	3	2
6.	नगर पंचायत	3	2	1

खाली जमीन कर की दर (प्रति वर्ग फीट में)

क्र.सं	नगर निकायों का प्रकार	प्रधान मुख्य सड़क	मुख्य सड़क	अन्य सड़क
7.	नगर निगम	0.46	0.37	0.28
8.	नगर परिषद	0.36	0.28	0.19
9.	नगर पंचायत	0.28	0.19	0.11

खाली भूमि टैक्स मालिक द्वारा भूमि के अधिग्रहण की तारीख से दो साल के भीतर लगाया नहीं जायेगा |

क 3. अधिभोग गुणक

क्र.सं	अधिभोग का प्रकार	गुणात्मक कारक
1.	स्व -अधिभोग हेतु	1
2.	किराये के अधिभोग हेतु	1.5

क 4. सम्पतियों के कर योग्य क्षेत्र की गणना

संपत्तियों की कर योग्य क्षेत्रों की इकाइयों के गणना के प्रयोजन के लिए कृपया निम्न तालिका का पालन करें -

- (i) वैयक्तिक आवासीय संपति संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत
- (ii) वैयक्तिक गैर आवासीय संपत्ति संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत
- (iii) वैयक्तिक आवासीय बह्मंजिला भवन / अपार्टमेंट संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत
- (iv) वैयक्तिक गैर आवासीय बह्मंजिला भवन / अपार्टमेंट संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत

क 5. गैर-आवासीय उपयोग के कारक

उपयोग	आई.	अधिभोग का प्रकार
डी.		

जाजीय आर्ट	अधिभोग का प्रकार
	जायमार्ग का प्रकार
डी.	
XIII.	होटल, बार, क्लब, स्वास्थ्य क्लब और शादी हॉल
XIV.	दुकार्ने (250 वर्ग फुट क्षेत्र से कम)
XV.	दुकानें (ऊपर द्वितीय को छोड़कर), शो रूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स,
	औषधालयों, प्रयोगशालाओं, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस
XVI.	वाणिज्यिक कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, बीमा कार्यालयों, निजी अस्पतालों और नर्सिग
	होम
XVII.	इंडस्ट्रीज, कार्यशालाएं, भंडारण गोदाम, और वेयरहाउस
XVIII.	राज्य और केंद्र सरकार के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और उपक्रम
XIX.	कोचिंग क्लासेस, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र व उनके हॉस्टल
XX.	राज्य और केन्द्र सरकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उपक्रमों के अलावा अन्य
	कार्यालयों
XXI.	निजी स्कूलों, निजी कॉलेजों, निजी अनुसन्धान संस्थानों, और अन्य निजी शिक्षण संस्थानों
	और उनके हॉस्टल
XXII.	आध्यात्मिक और धार्मिक प्रकृति के स्थान, केंद्र, और
XXIII.	शैक्षिक और सामाजिक गरीबों ,शारीरिक रूप से विकलांग, महिलाओं और बच्चों के
	सामाजिक सुरक्षा के लाभ के लिए संचालित चैरिटेबल ट्रस्ट जिसे लाभ या हानि हेतु
	संचालित नहीं किया जाता है
KXIV.	कोई अन्य होल्डिंग जो (1) से (11) के अंतर्गत नहीं आता हो

श्रेणी 8 के मामले में,सम्पति कर के स्थान पर सेवा प्रभार देय होगा , जो संपत्ति कर के 75% के बराबर होगा .

क 6. छूट

- 4. वैसे सभी संरचनाओं में, जो बारिश के पानी के संरक्षण प्रौद्योगिकी / सुविधा द्वारा पानी का उपयोग करता है, कुल देय सम्पति कर पर 5 (पांच) % छूट का दावा कर सकता है परन्तु, इसके लिय करदाता के पास भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है .
- 5. अगर वितीय वर्ष के देय सम्पति कर का भुगतान 30 जून या उससे पहले किया जाता है तो देय सम्पति कर पर 5% (पांच) छूट का दावा किया जा सकता है

क 7. ब्याज / पेनल्टी

वितीय वर्ष के 30 सितंबर के बाद सभी भुगतान पर 1.5% मासिक ब्याज रूप में दंड वसूला जायेगा जो अक्टूबर के प्रारम्भ से प्रभावी माना जायेगा

अनुलग्नक 11: वार्षिक किराया मूल्य की गणना के लिए मैट्रिक्स (एआरवी) और कर की दर क. इकाई क्षेत्र दर (रु.प्रति वर्ग फुट)

निर्माण का प्रकार	प्रधान मुख्य सड़क पर अवस्थित होल्डिंग			मुख्य सड़क पर अवस्थित होल्डिंग			अन्य सड़क पर अवस्थित होल्डिंग		
	वाणिज्यिक या औद्योगिक	अन्य	आवासीय	वाणिज्यिक या औद्योगिक	अन्य	आवासीय	वाणिज्यिक या औद्योगिक	अन्य	आवासीय
आर. सी. सी.									
छत वाला									
पक्का भवन									
एस्वेस्टस/									
कौरोगेटेड									
चादर की छत									
वाला पक्का									
भवन									
अन्य									

महत्वपूर्ण टिप्पणीः

- a. वैसे मामलों में जहां इमारत को आंशिक रूप से आवासीय और आंशिक रूप से वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग में लिया जाता है, इन दोनों उपयोग के लिए वास्तविक रूप में इस्तेमाल में लाये जाने वाले क्षेत्र पर अलग से विभिन्न उपयोगों के लिए निर्धारित दर के हिसाब से कर लगाया जाएगा.
- b. 'अन्य' के अंतर्गत होल्डिंग्स के उपयोग में शामिल होगा
 - ा. राज्य, पी.एस.यू और केंद्र सरकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और इमारतों के अलावा उनके कार्यालय
 - 2. सरकार द्वारा संचालित स्कूल, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा केंद्र
 - 3. शैक्षिक और सामाजिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कोई लाभ कोई नुकसान नहीं के आधार पर गरीबों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों की भलाई एवं महिलाओं और बच्चों के सामाजिक स्रक्षा के लिए चलाये जाने वाले संस्थान

ख. कर का दर = 9 %

ਪਤਨ	लग्नक III: सड़क का वर्गीकरण
<u>अगुल</u>	प्रकास मा: संक्ष्म का प्रवासर्थ
	त मुख्य सड़क सड़क का नाम
_{अ'} . स.	राञ्चर पर्ग गांग
\ ''-	
	ा सड़क महन्त्र सर नम
	सड़क का नाम
स.	
अन्य	
क्र.	नाम
स.	